



66

IN THE HON'BLE REVENUE BOARD AT GWALIOR

PBR | अपील | ग्वालियर | आ.अ. | 2017 | 2767

Appeal No. /2017

Appellant :

Gwalior Alcobrew Pvt. Ltd (formerly

Gwalior Distillers Limited.), Rairu Farm,

Agra Mumbai Road Gwalior 474010,

through its General Manager Mr. P.V.

Muralidharan S/o Late Shri V.V.S.

Nambishan R/o Rairu Farm, Gwalior

(M.P.)

श्री. व. व. स. नंबीशान
द्वारा आज दि. 17-7-17 को
मार्फत
कार्यालय कोट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री. व. व. स. नंबीशान

VERSUS

Respondent :

Excise Commissioner, Motimahal,

Gwalior

APPEAL U/S 62 (2) (C) OF MADHYA PRADESH EXCISE ACT,

1915 AGAINST ORDER DATED 20.06.2017 (ANNEXURE - A)

PASSED BY LEARNED EXCISE COMMISSIONER WHEREBY

THE PRESENT APPELLANT HAS BEEN DIRECTED TO PAY

PENALTY OF RS. 21,500/- FOR NON KEEPING MINIMUM

STOCK.

Most humbly and respectfully the appellant submit as

copy filed

13-9-17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/ग्वालियर/आ.अ./2017/2767

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-2018	<p>अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3173 में पारित आदेश दिनांक 20-6-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी को अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)14-15/1153 दिनांक 30-3-2015 द्वारा देशी मदिरा प्रदाय हेतु वर्ष 2015-16 के लिए प्रदाय क्षेत्र जिला मुरैना हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई थी। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता मुरैना के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जिला मुरैना के मद्यभाण्डागारों में अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक 26 दिवसों में विगत माह के 5 दिवस के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3173 में दिनांक 20-6-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्पिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रुपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार मुरैना एवं अम्बाह पर अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 26 दिवसों में बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 6,500/- इस प्रकार कुल रुपये 21,500/- की शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p>	

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं मानने में भूल की गई है, क्योंकि अपीलार्थी कम्पनी मदिरा का पर्याप्त संग्रह हमेशा बनाये रखा है और मदिरा प्रदाय के चालान कभी भी लंबित नहीं हुए हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व लायसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कि राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है। अतः अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के स्टोरेज मद्यभाण्डागार मुरैना एवं अम्बाह पर अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 26 दिवसों में बोटलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज

मद्यभाण्डागार में विगत माह के 5 दिवस के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोटलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी से उत्तर प्राप्त किया गया है, जिस पर अपीलार्थी कम्पनी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20-6-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।


अध्यक्ष


अध्यक्ष